

ग़मगीन माहौल में नीरज उधवानी का दाह संस्कार

मुख्यमंत्री भजनलाल ने शोकाकुल माँ के आँसू पोंछकर ढांढस बंधाया

■ मुख्यमंत्री ने दिवंगत के परिजनों से मिल कर भरोसा दिलाया कि केन्द्र और राज्य सरकार इस अपार दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हैं।

जयपुर, 24 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाये वाले जयपुर के नीरज उधवानी के पार्थिव शरीर का गुरुवार को यहां अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर के झालाना स्थित मोक्षधाम पर संपन्न हुई अंत्येष्टि में मृतक नीरज के बड़े भाई किशोर उधवानी ने मुखार्पित दी। दुबई में कार्यरत जयपुर के मॉडल टाउन क्षेत्र के रहने वाले नीरज उधवानी अपनी पत्नी आयुषी के साथ छुट्टियां मनाये भारत आए थे। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीरज उधवानी की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार प्रातः स्व. नीरज उधवानी के मॉडल टाउन स्थित



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाये वाले नीरज उधवानी की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने स्व. उधवानी को शोकाकुल मां के आंसू पोंछे और उन्हें ढांढस बंधाया।

अपार्टमेंट पर उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। शर्मा ने स्व. उधवानी

की शोकाकुल मां के आंसू पोंछे और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत के

‘सरकार जो भी कदम उठाएगी विपक्षी दल उसके साथ खड़े होंगे’

सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने पहलगाम हमले के मसले पर सरकार को भरोसा दिलाया

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों की राय जानने के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि बैठक में सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा

■ **रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया।**

लिया और सभी ने एक स्वर में इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सभी दलों ने सरकार से जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के नेताओं को विश्वास दिलाया कि सरकार कश्मीर में शांति बहाली के लिए

सभी जरूरी उपाय करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि वह जो भी कदम उठाएगी, विपक्षी दल उनके साथ खड़े होंगे।

विपक्षी दलों ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शामिल न होने पर सवाल उठाए और पूछा कि बैठक को सदन के नेताओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए सरकार को पार्टी अध्यक्षों को भी बैठक के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाना चाहिए था।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने बताया कि आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में जानकारी दी।

कोटा में नीट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रोटोकॉल के अनुसार, एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। शव के नजदीक ही एक मोबाइल पड़ा था जिस पर परिजनों का फोन भी आया था। परिजनों ने ही इस लड़के की शिनाख्त की है। परिजनों के कोटा आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया और पोस्टमार्टम सहित अन्य कार्रवाई होगी। कुन्हाड़ी थानाधिकारी पुष्पेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि छात्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रथम दृष्टांत जहर के सेवन से मौत लग रही है। स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम से ही सामने आ पाएगा। परिजनों के अनुसार, कोटा में रहकर ऑनलाइन ही कोर्स उसने लिया हुआ था। वह बीते दिनों बेड़े को लेने भी आए थे लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया था। जब वे लेने आए थे, तब यह कहीं भाग गया था। बुधवार रात को उनकी बातचीत फोन पर हुई थी, जिसमें वह आगे पढ़ाई नहीं करने, किसी तरह का कोई एजामा नहीं देने और घर भी नहीं आने की बात कर रहा था।

अमित शाह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कश्मीर यात्रा तथा वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शांति के लिए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गये तथा कई अन्य घायल हुए हैं।

अटारी सीमा पर रिट्रीट सैरमनी में दिखा तनाव

अमृतसर, 24 अप्रैल। भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब सीमाओं पर दिखने लगा है। गुरुवार को अटारी-वाघा बॉर्डर पर होने वाली पारंपरिक रिट्रीट सैरमनी में इस बार कुछ अलग नजारा देखने को मिला। सामान्य रूप से हर दिन दोनों देशों के गेट खोले जाते हैं और सीमाओं पर प्रतीकात्मक मित्रता दिखती है, लेकिन इस बार न तो गेट खोले गए और न ही बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रैंजर्स से परंपरागत

■ **सामान्य रूप से हर दिन दोनों देशों के गेट खोले जाते हैं और प्रतीकात्मक मित्रता दिखाई जाती पर गुरुवार को ना गेट खुले और ना ही भारतीय जवानों ने हाथ मिलाने की रस्म ही अदा की।**

हैंडशेक किया। रोजाना लगभग 20,000 लोगों की मौजूदगी वाली यह सैरमनी इस बार सन्नटेरी को झलक लिए थी। महज 10,000 दर्शक पहुंचे, जिनमें से अधिकांश ने हाथ में तिरंगा धामे देशभक्ति के नारे लगाए। हाल ही में, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जिसका असर यहाँ भी साफ दिखा। भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाते हुए, अटारी बॉर्डर पर नागरिक आवाजाही को सीमित कर दिया है। पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

पंजाब सीमा पर भारतीय जवान को पाक सेना ने गिरफ्तार किया

अमृतसर, 24 अप्रैल। बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स (बी.एस.एफ.) के एक जवान को पंजाब के फिरोजपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रैंजर्स के जवानों ने हिरासत में ले लिया है और उसके हाथ से एके-47 भी छीन ली। बताया जा रहा है कि यह बीएसएफ जवान गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर गया था।

हिरासत में लेने के बाद रैंजर्स जवान को अपने साथ ले गए। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में जवान की 2 फोटो जारी की गईं। एक फोटो में आंख पर पट्टी बांधी गई है तो दूसरी में बीएसएफ जवान एके-47 और पानी की बोतल के साथ खड़ा है।

बीएसएफ जवान पीके सिंह मूल रूप से कोलकाता के जिला हुगली का रहने वाला हैं। अभी तक उसे छोड़ा नहीं गया है। बीएसएफ के अधिकारी लगातार पाक रैंजर्स के संपर्क में हैं। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जवान की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही।

सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन बर्निंग केस में अंतिम सुनवाई की तारीख तय की

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को दिये गये आदेशों में कहा कि 2002 के गोधरा ट्रेन बर्निंग केस में विचाराधीन 2018 अपीलों की निर्णायक सुनवाई 6 तथा 7 मई को होगी।

न्यायमूर्ति जे.के. महेस्वरी तथा राजेश बिन्दल की बेंच ने वरिष्ठ एडवोकेट संजय हेगड़े, जो दोषी सिद्ध हुये (कनविकट) व्यक्ति की ओर से उपस्थित हुये थे, से कहा कि वे अपने सभी दस्तावेजों का पुनरीक्षित (रीवाइज्ड) संकलन 3 मई तक प्रस्तुत कर दें। बेंच ने कहा कि इन दस्तावेजों में दोषी के खिलाफ लगाये गये आरोपों का विवरण “हैंडिंग-वाइज” होना चाहिये, इसके साथ ही, नीचे की अदालतों के निर्णय एवं निष्कर्ष तथा दोषी द्वारा दी गई वे दलौलें, तथा उनकी पुष्टि करने वाली “ऑन रिकॉर्ड” सामग्री भी होनी चाहिये, जो आरोपों की काट के लिये दी गई थीं।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनेक दोषियों के अलावा, गुजरात सरकार की अपीलें विचाराधीन हैं।

2002 की इस घटना के कारण गुजरात के विभिन्न हिस्सों में दंगे शुरू हो गये थे, जिनसे नरेन्द्र मोदी के राजनैतिक उत्थान में मदद मिली, क्योंकि वे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी के परिणामस्वरूप, मोदी जबरदस्त बहुमत के साथ प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे तथा वे अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिये इस पद पर आसीन हैं।

■ **6 व 7 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे में सभी आरोपियों की अपील की सुनवाई करेगी**

■ **सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपीलकर्ताओं के वकीलों को निर्देश दिया कि सिलसिलेवार तरीके से तैयार कर के इन तारीखों को पेश करे।**

■ **6 व 7 मई को कोर्ट पूरे दिन इस मुकदमे को ही सुनेगा तथा कोई और मामला नहीं सुनेगा।**

गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस के कोच नं. एस-6 में लगी आग में 59 लोग मर गये थे। इस प्रकरण की निर्णायक सुनवाई 6 तथा 7 मई को करने के आदेश देते हुये, बेंच ने गुजरात सरकार तथा दोषियों की ओर से प्रस्तुत वकीलों से कहा कि वे इस प्रकरण से सम्बंधित पत्रावलि्यों को संकलित कर प्रस्तुत करें तथा यह संकलन ऊपर बताये गये तरीके से ही तैयार किया जाये। ज्ञातव्य है कि गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय के उस फैसले के विरुद्ध अपील की है, जिसमें 11 दोषियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

बेंच ने कहा, “इस प्रकरण की सुनवाई के लिये कम से कम दो सप्ताह का समय चाहिये। पहले, हम इसकी सुनवाई 6 तथा 7 मई को पूरे दिन करेंगे तथा इन तिथियों में अन्य कोई केस नहीं लिया जायेगा, स्वािय उस स्थिति के, जब अदालत स्वयं किसी केस के लिये विशेष रूप से करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार से

कहा कि अगर वे आवश्यक समझें तो इस आशय का आदेश मुख्य न्यायाधीश से ले लें। मार्च 2011 में, ट्रायल कोर्ट में 31 लोग दोषी सिद्ध हुये थे, जिनमें से 20 को आजन्म कारावास तथा 11 दोषियों को मृत्युदंड दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 63 लोग रिहा कर दिये थे।

हाई कोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के निर्वहन को लेकर पेश परिवाद पर मॉजिस्ट्रेट ने न तो विशेषज्ञ की राय ली और न लोक सेवक का पक्ष ही सुना। ऐसे में उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिष्ट गया है। ऐसे में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए, राज्य सरकार से तत्पत्त्यक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।